

# हजारीबाग नगर परिषद, हजारीबाग

ज्ञापांक ...१४...../भ.नि.

प्रेषित :

श्री श्रीकान्त प्रसाद  
पिता - स.स. २१५५-५ प्रसाद  
लोहा/हजारीबाग

हजारीबाग, दिनांक १३/३/१६

विषय : भवन चित्र वाद संख्या ...३.५./२०१६ की स्वीकृत्यादेश।

उपर्युक्त विषय के संबंध में नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या २३५६ दिनांक ०७.०७.२०१५ के द्वारा राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (भवन उप विधि) - २००२ यथा संशोधित २००६ के प्रावधानों के तहत अधिसूचना सं. - ५०४, दिनांक १०.०२.२०१२ एवं नगरपालिका अधिनियम २०११ की धारा ४२७ (३) के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित भवन निर्माण/वर्तमान भवन में परिवर्तन के नक्शे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. भवन में तड़ित चालक अधिष्ठापित करना अनिवार्य है।
2. भवन का निर्माण किसी जल स्रोत को भरकर/बंदकर नहीं किया जाना है।
3. भू जल स्तर को नियंत्रित करने हेतु भवन निर्माण के दौरान Water Harvesting का प्रावधान करना अनिवार्य है।
4. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत भवन प्लान में प्रस्तावित मंजिल के अतिरिक्त निर्माण के समय आवासीय/व्यवसायिक इकाई की संख्या में वृद्धि/विचलन मान्य नहीं होगी।
5. भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माण से संबंधित कोई भी सामग्री सड़क पर नहीं रखना है।
6. भवन प्लान की स्वीकृति हेतु दिये गये आवेदन के साथ शपथ पत्र में वर्णित सभी शर्तों का पालन अक्षरशः करना होगा।
7. भवन चित्र की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
8. भवन निर्माता स्वीकृत नक्शे के अनुसार Plinth level तक निर्माण कार्य करने के उपरांत इस कार्यालय को सूचित करेंगे, तत्पश्चात इस कार्यालय से कार्य जारी रखने हेतु पत्र प्राप्त करने के उपरांत अग्रेतर कार्य जारी रखना सुनिश्चित करेंगे।
9. भवन प्लान की स्वीकृति के उपरांत तथा भवन निर्माण पूर्ण होने के पूर्व नगरपरिषद द्वारा यदि कोई अन्य शर्त/नियम/कर लगाये जाते हैं, तो भवन निर्माण के समय आवेदक को उनका भी पालन करना होगा।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वीकृत भवन चित्र के अनुरूप ही अपने भवन का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा जांच के दौरान शर्तों के उल्लंघन की दशा में आपके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम २०११ के सुरांगत धाराओं के अंतर्गत निर्माण कार्य रोक कर अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नक :

1. स्वीकृत भवन चित्र।

04/3/16  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, हजारीबाग  
21/3/16 21/3/16